# बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण ( संशोधन ) अधिनियम 1981

**[ बिहार अधिनियम 35, 1982 ][1]**

बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए अधिनियम :

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—( 1 ) यह अधिनियम बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहलायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(2) यह तुरत प्रवृत होगा ।

**2.** से **11.** मूल अधिनियम में यथास्थान समाविष्ट।

**12. निरसन और व्यावृत्ति**— (1) बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 1981 ( बिहार अध्यादेश संख्या 181, 1981 ) इसके द्वारा निरंसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायगी। मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

Scanned with OKEN Scanner